



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अन्तर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(A Central University established by Parliament by Act No.3 of 1997)

संजय भा. गवई

Sanjay B. Gawai

कार्यकारी कुलसचिव/Acting Registrar

दूरभाष / Phone: +91-7152-230902

फैक्स / Fax: +91-7152-230903

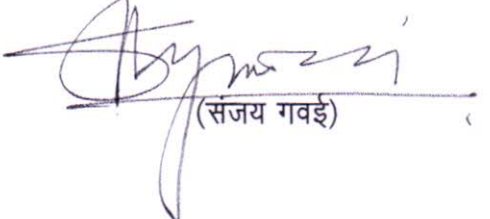
पत्रांक: 005/2012/क्षे.के.इ./01 (2)/538

दिनांक: 30/10/2014

कार्यालयादेश

क्षेत्रीय केंद्र इलाहाबाद के एम.ए. (सत्र: 2014-15) के विद्यार्थियों को तृतीय एवं चतुर्थ छमाही में अनिवार्य भाषा डिप्लोमा पाठ्यक्रम पूर्ण करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

यह आदेश सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनोपरांत निर्गत किया जा रहा है।



(संजय गवई)

प्रतिलिपि:

1. कुलपति कार्यालय
2. उपकुलसचिव (अकादमिक)
3. परीक्षा विभाग
4. प्रभारी, क्षेत्रीय केंद्र इलाहाबाद
5. लीला प्रभारी को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
6. कार्यालय प्रति